पत्र संख्या–वन भूमि–27/2016–3612 व०प०

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

राँची, दिनांक– 27/08/2018

विषय :– मेसर्स सी०सी०एल० के पुरनाडीह ओ०सी०पी० परियोजना हेतु 323.49 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक परियोजना से संबंधित प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–911 दिनांक–21.09.2016 एवं पत्रांक–689 दिनांक–25.06.2018 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नकों सहित) आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

2. विषयक प्रस्ताव में कुल–152.60 हे० जंगल–झाडी भूमि सन्निहित है, जिसमें से मात्र 39.69 हे० का वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् विहित प्रपत्र में उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही के साथ संलग्न है। शेष 112.91 हे० जंगल–झाड़ी भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। संबंधित अनापति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर अलग से प्रेषित किया जायेगा।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(i) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निदेश के आलोक में अपयोजित होने वाली वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण को करना होगा।

(iii) प्रस्तावित वनभूमि के दोगुणे अवकृष्ट वनभूमि में वर्तमान मजदूरी दर पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(iv) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–F.No-11-42/2017-FC दिनांक–29.01.2018 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के आलोक में विषयक प्रस्ताव में प्रतिवेदन उल्लंघन के संबंध में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(v) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन
27/8/18
(सुनील कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–27/2016– 3612 व०प०, राँची, दिनांक– 27/08/2018

प्रतिलिपि–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची, बंगला नं0–A-2, श्यामली कॉलोनी, राँची–834002 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

27/8/18
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–वन भूमि–27/2016– 3612 व०प०, राँची, दिनांक– 27/08/2018

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/उप महाप्रबंधक (पर्यावरण एवं वन), CCL, दरभंगा हाउस, राँची, झारखण्ड–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/8/18
सरकार के संयुक्त सचिव

Phone/Fax- 0651-2490133, Email-Id:- dysecyfdjharkhand2013@rediffmail.com

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 323.49 ha of Forest Land for CCL Purnadih Open Cast Project.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 323.49 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no. 3672 ***dated*** 27/08/2018.

Signature: 27/8/18

Name & Designation : Sunil Kumar
(Joint Secretary)
Forest, Environment & Climate
Change Department

संयुक्त सचिव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
झारखंड, राँची

Date : 27/08/2018

Place : Ranchi

(Official Seal)